साइमन कमीशन (1928)
[Simon Commission (1928)]

साइमन आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था 1919 ई. के भारत शासन अधिनियम द्वारा की गई थी। इस अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि अधिनियम के लागू होने के दस वर्ष बाद इसके व्यावहारिक पक्ष की जांच करने के लिए सरकार एक राजकीय आयोग (रॉयल कमीशन) की नियुक्ति करेगी, परन्तु सरकार ने इस अवधि के समाप्त हाने के दो वर्ष पूर्व ही अर्थात् नवम्बर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन अर्थात् आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह शीघ्रता कांग्रेस के आंदोलन के कारण हुई जबकि कुछ लोगों का विचार है कि लार्ड बर्किन हेड का रूढ़िवादी दल यह नहीं चाहता था कि यह आयोग उदारवादी सरकार (जिसकी नए चुनाव में जीतने प्रबल संभावना थी) बनाए। इस कमीशन के सातों सदस्य अंग्रेज थे। भारतीयों को जान-बूझकर आयोग में नहीं लिया गया। गवर्नर जनरल इरविन तथा भारत मंत्री बर्किन इस पर सहमत थे कि 'इस आयोग में भारतीयों के होने से लाभ कम और हानियां अधिक होगी। कमीशन में भारतीयों को न लेने का कारण सरकार द्वारा यह बताया गया कि चूंकि उसे ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट देनी है, अतः उसमें केवल ब्रिटिश संसद के ही सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन यह एक बहाना था क्योंकि उस समय ब्रिटिश संसद में दो भारतीय सदस्य भी थे। दूसरा भारत वर्ष में अनेक राजनैतिक दल है इसलिए यदि एक दल के प्रतिनिधि को कमीशन में लिया गया, तो दूसरा दल विरोध करेंगे।

(A)साइमन कमीशन के उद्देश्य (Aims of Simon Commission)

ब्रिटिश सरकार द्वारा कमीशन को यह कार्य सौंपा गया कि वह ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों में पता लगाए कि सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, प्रतिनिधि संस्थाएँ अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हुई है, राजनैतिक चेतना का विकास किस सीमा तक हुआ है। उत्तरदायी सरकार के सिद्धान्त को किस रूप में अपनाया जाए और इसमें क्या परिवर्तन किये जाये।

(B) साइमन कमीशन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया (Reaction of Indians towards Simon Commission)

मोतीलाल नेहरू ने इसे धोखा एवं दिखावा मात्र कहा। ऐनीबेसेन्ट के अनुसार आयोग में किसी भारतीय का न होना 'जले पर नमक छिड़कना' था। जिन्ना ने तो यहां तक कह दिया कि किसी भी स्वाभिमानी भारतीय के लिए आयोग का बहिष्कार करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं था।

साइमन कमीशन भारत के जिस क्षेत्र में गया वहाँ भारतीय जनता ने काले झण्डे, हड़तालों जुलूसों एवं प्रदर्शनों से उसका स्वागत किया। जब कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपतराय के नेतृत्व में एक बड़ा भारी जलूस निकाला गया। पुलिस अधिकारी **साण्डर्स** के आदेश से लाजपतराय पर लाठियों और डंडों की भीषण वर्षा की गई जिसके परिणामस्वरूप उनको गहरी चोंटे पहुंची तथा कुछ समय बीमार रहने के बाद उनका देहान्त हो गया। उन्होंने घायल अवस्था में भी शेर की तरह गर्जना करते हुए कहा था कि **मेरे उपर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगा।** कमीशन के लखनऊ पहुँचने पर **पं. गोविन्द** वल्लभपंत एवं **पं. जवाहरलाल नेहरू** के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ।

वस्तुतः साइमन कमीशन ने अस्थायी तौर पर ही सही, देश के विभिन्न समूहों और दलों को एकजूट कर दिया। साइमन दो बार भारत आया। पहली बार 3 फरवरी 1928 ई. से 31 मार्च 1928 तक वह भारत में रहा तथा दूसरी बार 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 ई. तक रहा। दोनों ही बार भारतीय द्वारा उसका बहिष्कार किया गया तथा " साइमन वापस जाओ" के नारे लगाए गए। केन्द्रीय असेम्बली ने भी आयोग के विरूद्ध लाला लाजपतराय के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि " इस असेम्बली का संसदीय आयोग पर जिसको भारतीय संविधान के संशोधन के लिए नियुक्त किया गया है, विश्वास नहीं है।"

(C) साइमन कमीशन की रिपोर्ट (Report of Simon Commission)

भारतीय जनता के विरोध एवं प्रदर्शन के बावजूद साइमन कमीशन काम करता रहा और उसकी रिपोर्ट मई, 1930 में प्रकाशित हुई। साइमन कमीशन ने भारत के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की –

(1) दोहरे शासन की समाप्ति व प्रान्तीय स्वराज्य का आरम्भ (End of Dual Government and Begnning of Provincial Self Government)– 1919 के अधिनियम द्वारा प्रान्तों में दोहरा शासन शुरू हुआ, जो सफल नहीं हो सका इसलिए कमीशन ने इसे समाप्त करके, प्रान्तों की स्वायत्तता (Autonomy) देने की सिफारिश की। रिपोर्ट के अनुसार सारा प्रान्तीय शासन मन्त्रियों को सौंप दिया जाए और उसे प्रान्तीय विधान मण्डल के प्रति जिम्मेदार बना दिया जाए। प्रान्तों में राज्यपालों को विशेष शक्तियां प्रदान की जाए ताकि

ये विशेष परिस्थितियों में मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा कर अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकें। गवर्नर-जनरल का प्रान्तों के अन्दरूनी मामलों में कम से कम दखल हो।

(2) गवर्नरों तथा गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियाँ (Special Power of Governors and Governor-General)— प्रान्तों व केन्द्र में अल्प संख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए गवर्नरों एवं गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाएं जिससे प्रान्तों एवं केन्द्र में शासन को ठीक तरह संचालित किया जा सके। गवर्नर को यह भी अधिकार दिया जाए कि वह अपने मंत्रिमण्डल में एक या अधिक अनुभवी सरकारी अधिकारी शामिल कर सके जो प्रान्तीय विधान मण्डल के प्रति जिम्मेवार होगा।

(3) मताधिकार का विस्तार (Extension of Franchise)— 1926 ई. में भारत की कुल 2.8 प्रतिशत आबादी को मताधिकार प्राप्त था। इसलिए रिपोर्ट में कहा गया कि मताधिकार का विस्तार करके इसे 10 या 15 प्रतिशत आबादी तक किया जाए। साथ ही चुनाव की साम्प्रदायिक पद्धति कायम रहे।

(4) केन्द्र में अनुत्तरदायी सरकार (Inresponsible government at the Centre)— साइमन कमीशन ने केन्द्रीय विधानमण्डल को केन्द्रीय सरकार पर नियंत्रण रखने की शक्ति नहीं देने का सुझाव दिया। शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता पर बल दिया। जब प्रतिरक्षा (Defence) की समस्या ठीक तरह हल हो जाए, इसके बाद ही केन्द्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बारे में सोचा जा सकता है।

(5) प्रान्तीय विधान मण्डलों का विस्तार (Extension of Provincial Legislative Council's)— प्रान्तीय विधान मण्डलों का विस्तार किया जाए और अधिक महत्वपूर्ण प्रान्तों में 200 से लेकर 250 सदस्य शामिल किये जाएं। इसमें सरकारी अधिकारी बिल्कुल न रहे और मनोनीत (नामजद) गैर-सरकारी अधिकारियों की संख्या विधानमण्डल की समस्त संख्या के दसवें भाग से अधिक नहीं हो। जिन प्रान्तों में मुसलमानों की संख्या थोड़ी हो वहाँ उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए।

(6) वृहत्तर भारत परिषद् की स्थापना (Establishment of Indian Federation)— भारत में एक ऐसी परिषद् की स्थापना की जाए जिसमें ब्रिटिश प्रान्तों और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हों और वे कुछ साझे मामलों पर विचार कर सकें। कमीशन ने यह अनुभव किया कि भारत में अभी ऐसा समय नहीं आया है कि देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रान्तों का संघ स्थापित किया जा सके। यह तो भविष्य में ही संभव हो सकता है।

(7) नया संविधान (New Constitution)— हर दस वर्ष के बाद भारत की संवैधानिक प्रगति की जांच पड़ताल की पद्धति को छोड़ दिया जाए और नया संविधान इस लचीलेपन से विकसित किया जाए कि यह स्वयं ही विकसित हो सके।

समीक्षा (Prudential Policy)

साइमन कमीशन की रिपोर्ट में प्रान्तों को स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की गई

[Nehru Report (1928)]

साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय 'हाउस ऑफ लार्ड्स' में भाषण देते हुए भारत–मंत्री **बर्किन हेड** ने कहा था–**"भारत के लोगों में विधान बनाने की योजना नहीं है, क्योंकि उनके राजनैतिक दल अपने देश के भारी बहुमत का प्रतिनिधित्व नही कर सकते, विशेषकर दलित जातियों का।"**

इसके साथ ही उन्होंने सदन में यह घोषणा भी की कि यदि भारतीय दल कोई संविधान बनाते है तो उस पर उचित विचार किया जाएगा। बर्किन हेड की इस चुनौती का उत्तर देने के लिए कांग्रेस ने विभिन्न राजनैतिक दलों तथा संगठनों का सम्मेलन फरवरी 1928 ई. को दिल्ली में बुलाया। **अगली** सर्वदलीय कमिटी **पंडित मोतीलाल नेहरू** की अध्यक्षता में नियुक्त हुई। कमिटी के **अन्य सदस्य थे सर तेजबहादुर सप्रू, सर अली इमाम, शुऐब कुरैशी सुभाषचन्द्र बोस, एन.एम.जोशी तथा सरदार मंगलसिंह।**

जयकर ने समिति की सदस्यता स्वीकार नहीं की। इस समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट या **"नेहरू प्रतिवेदन"** कहा जाता है; जिसे **डॉ. जकरिया** ने **'एक परिपक्व तथा मर्मज्ञपूर्ण रिपोर्ट'** (Masterly and Statesman Life Report) कहा है। **10 अगस्त 1928** को नेहरू कमिटी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें निम्नलिखित सुझाव दिए गये –

1. भारत को कनाडा और दक्षिणी अफ्रीका आदि के औपनिवेशिक स्वराजय के समान स्थिति (डोमीनियम स्टेट्स) प्रदान की जाए।
2. रिपोर्ट में नागरिकों के मूल अधिकरों की एक लम्बी और अर्थपूर्ण सूची दी गई थी।
3. रिपोर्ट में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था और प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, सामाजिक समानता एवं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था थी।

4. केन्द्रीय विधानसभा का निम्न सदन तथा प्रान्तीय विधानसभाऐं पूर्णतः निर्वाचित सदन हो। साम्प्रदायिक तथा पृथक निर्वाचक मण्डल समाप्त कर दिये जाएं।
5. अल्पसंख्यको का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानों के आरक्षण का सिद्धान्त लागू किया जाए। यह आरक्षण जनसंख्या के आधार पर तथा निश्चित समय के लिए हो।
6. वयस्क मताधिकार का सिद्धान्त लागू किया जाए तथा 21 वर्ष के स्त्री और पुरूष को मत देने का अधिकार हो।
7. सिन्ध तथा कर्नाटक के पृथक प्रान्तों का गठन किया जाए। भाषाई आधार पर भविष्य में अन्य प्रान्तों का भी गठन किया जाये।
8. भारत में सघीय सरकार की स्थापना की जाए। इस व्यवस्था में अवशिष्ट अधिकार केन्द्र सरकार के पास रहे।
9. केन्द्र में संसदीय शासन पद्धति लागू हो तथा कार्यकारिणी पूरी तरह से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो।
10. रिपोर्ट द्वारा भारत में एक उच्च न्यायालय की स्थापना करके प्रिवी परिषद् में लंबित तमाम अपीले बंद करने की सिफारिश की गई। यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय का काम संविधान की व्याख्या करना और प्रान्तों के आपसी झगड़ों का निर्णय करना होगा।
11. भारत की प्रतिरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा–समिति बनाने की सिफारिश की गई। इस प्रतिरक्षा–समिति में प्रधानमंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, प्रधान सेनापति, वायु सेना और जलसेना के सेनापति, जनरल स्टाफ का अध्यक्ष तथा दो सैनिक विशेषज्ञ सदस्य के रूप में रहेंगे। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर भरतीय सेनाओं के सम्बन्ध में सभी नियम बनाये जायेंगे।

नेहरू रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया (Reaction on Nehru Report)

इन विशेषताओं के बावजूद नेहरू रिपोर्ट के सम्बन्ध में विभिन्न भारतीय दलों में कुछ मत–भिन्नता उत्पन्न हो गई। इसके साम्प्रदायिक अनुबंध से कुछ सिख और हरिजन असन्तुष्ट हुए। सिखों की मांग थी कि उन्हें भी अल्पसंख्यक समझकर स्थान आरक्षण मिलें। हरिजनो का कहना था कि उनके अधिकारों की उपेक्षा हुई है। मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकृत करते हुए जिन्ना की चौदह सूत्री योजना प्रस्तुत की। कांग्रेस का युवा वर्ग , जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचन्द्र बोस प्रमुख थे, औपनिवेशिक स्वतंत्रता संतुष्ट नहीं हुआ। सरकार ने भी नेहरू रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह रिपोर्ट बहुत अधिक प्रगतिशील थी।

नेहरू रिपोर्ट का भारत के संवैधानिक इतिहास में इस दृष्टि से विशेष महत्व है कि यह स्वतंत्र भारत के संविधान का पूर्व रूप सिद्ध हुई। संघीय व्यवस्था, संसदीय शासन पद्धति, भाषाई प्रान्त, मौलिक, अधिकार , वयस्क मताधिकार, व्यवस्थापिका में स्थानों का आरक्षण

तथा अवशिष्ट शक्तियों का केन्द्र सरकार के पास रहना–ये वे बुनियादी सिद्धान्त थे, जिन्हें भारतीय गणतंत्र के संविधान में स्थान दिया गया।

जिन्ना का चौदह सूत्री कार्यक्रम (Jinnaha's Fourteen Point Programme)

1 दिसम्बर 1928 में सर्वदलीय राष्ट्रीय सम्मेलन की बैठक में जिन्ना ने नेहरू कमेटी के प्रस्तावों पर तीन संशोधन रखे। ये प्रस्ताव निम्न लिखित थे –

(क) केन्द्रीय विधानमण्डल में एक तिहाई स्थान मुस्लिमों के लिए सुरक्षित रखे जाएं।

(ख) पंजाब एवं बंगाल में जनसंख्या के आधार पर मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व दिया जाए।

(ग) संविधान की अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र को न देकर प्रान्तों को प्रदान की जाएं।

किन्तु जिन्ना के प्रस्तावित संशोधन सर्वदलीय राष्ट्रीय सम्मेलन में अस्वीकार कर दिये गये। फलतः जिन्ना कांग्रेस से नाराज हो गए। उन्होने अब पृथकतावादी नीति का समर्थन शुरू किया। उन्होंने अपने राष्ट्रवादी स्वरूप का परित्याग कर मुस्लिम लीग के शफी गुट से समझौता कर लिया। जिन्ना के विचारों में परिवर्तन का मुख्य कारण यह था कि मुस्लिम लीग उनके प्रगतिशील तथा राष्ट्रवादी विचारों को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थी। अतः उनका नेतृत्व खतरे में था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश अनुदारवादी नेताओं ने भी जिन्ना को साम्प्रदायिक राजनीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। इन परिस्थितियों में 1928 में दिल्ली में आगा खां के सभापतित्व में एक सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन हुआ उसमें जिन्ना ने अपना चौदह सूत्री सिद्धान्त रखा और तय किया गया कि ये चौदह सूत्र ही भविष्य में कांग्रेस व लीग के बीच समझौते का आधार हो सकते थे। ये सूत्र निम्नलितख थे–

1. भारत का भावी संविधान संघात्मक हो, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां प्रान्तों को दी जाएं।
2. सभी प्रान्तों को समान स्वायत्तता प्राप्त हो।
3. सभी व्यवस्थापिका सभाओं तथा निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।
4. केन्द्रीय विधान मण्डल में मुस्लिमों का एक–तिहाई प्रतिनिधित्व हो।
5. सभी सम्प्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी।
6. साम्प्रदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन–व्यवस्था के अनुसार होगा।
7. कोई भी प्रादेशिक पुनर्विभाजन पंजाब, बंगाल एवं उत्तर–पश्चिम सीमा प्रान्त में मुस्लिम बहुमत को प्रभावित नहीं करेगा।
8. विधान सभा कोई ऐसा कानून या विधेयक पारित नहीं करेगी, जिसका किसी भी सम्प्रदाय का तीन–चौथाई बहुमत अपने सम्प्रदाय के लिए अहितकर मानकर विरोध करे।
9. केन्द्र या प्रान्त के मंत्रिमंण्डल में कम से कम एक–तिहाई मुस्लिम मंत्री होंगे।
10. सिन्ध को बम्बई प्रान्त से अलग कर दिया जाए।
11. अन्य प्रान्तों की भांति पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त एवं बलूचिस्तान में भी सुधार किये जाए।
12. मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा, धर्म, विधि आदि की रक्षा के लिए संविधान मे व्यवस्था की जाए।

13. समस्त प्रशासकीय नौकरियों में योग्यतानुसार मुसलमानों को पर्याप्त भाग दिया जाए।

14. केन्द्रीय विधानमण्डल द्वारा संविधान में भारतीय संघ के सभी राज्यों की स्वीकृति के बिना कोई संशोधन नही किया जाए।

जिन्ना की चौदह सूत्री मांगों से यह स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग की महत्वाकांक्षा दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ये चौदह सूत्र भारत के भावी विभाजन की पूर्व सूचना थे। मुस्लिम लीग के राष्ट्रवादी दल ने इन्हें स्वीकार नही किया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है 'जिन्ना की चौदह शर्तों का इसलिए महत्व है क्योंकि रैमजे मैकडॉनल्ड ने अपने साम्प्रदायिक निर्णय में लगभग पूर्ण रूप से इन्हें स्वीकार कर लिया।' राष्ट्रवादी मुसलमान पृथक निर्वाचन व्यवस्था के विरूद्ध थे। उन्होनें 1931 में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे मुस्लिम राष्ट्रीय सम्मेलन कहते है। इसमें भारत के भावी संविधान के बारे मे कुछ प्रस्ताव पारित किये गये। यद्यपि मुस्लिम राष्ट्रीय सम्मेलन की मांगे सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की मांगों से बहुत मिलती–जुलती थीं, फिर भी दोनों में समझौता नही हो सका।

पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव (Proposal for full Independence)

दिसम्बर 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में (जिसके अध्यक्ष पण्डित जवाहर लाल नेहरू थे) पूर्ण स्वराज्य की स्पष्ट व्याख्या की गई। कांग्रेस ने घोषणा की कि "औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रस्ताव को स्वीकार करने का समय बीत चुका है और अब भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य है।" 31 दिसम्बर,1929 ई. की मध्यरात्रि में स्वतंत्रता का द्योतक भारत का तिरंगा कांग्रेस के प्रधान जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन मे भाग नहीं लेने का निश्चय किया और अपनी महासमिति को यह अधिकार दिया कि " वह जब चाहे, जहां चाहे सविनय अवज्ञा और करबंदी का कार्यक्रम आरम्भ कर दे।"

कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता–दिवस निश्चित किया और इस अवसर पर पढ़े जाने के लिए स्वतंत्रता का एक घोषणा–पत्र अंगीकार किया। कांग्रेस अधिवेशन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषण की।

गोलमेज सम्मेलन (Roundtable Confrence)

भारत में बढ़ते हुए राजनीतिक आंदोलन के दबाव के कारण तथा उनकी उग्रता को कम करने के लिए लार्ड इरविन ने घोषणा की कि भारत के लिए सरकार की नीति का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वशासन की स्थापना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह घोषणा भी की कि भारत की समस्या पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

गोलमेज सम्मेलन इस प्रकार थे

(1) प्रथम गोलमेज सम्मेलन (नवम्बर 1930–जनवरी 1931) (First Roundtable Confrence)–प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवम्बर 1930 ई. को प्रारम्भ हुआ और 19 जनवरी

1931 तक चला। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए एवं संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए विभिन्न वर्गों एवं हितों से सम्बन्धित 89 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। सम्मेलन का उद्घाटन सम्राट जार्ज पंचम ने किया तथा अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने की थी। परन्तु उस समय तक भारत में सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ हो गया तथा राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सम्मेलन का बहिष्कार करने के कारण इसकी कार्यवाहियां निष्फल हो गई।

(2) द्वितीय गोलमेज सम्मेलन : सितम्बर 1931 (Second Roundtable Confrence)—द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आरम्भ होने से पूर्व भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। गांधी–इरविन पैक्ट के फलस्वरूप सविनय अवज्ञा अंदोलन स्थगित हो गया तथा कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। अक्टूबर 1931 ई. में इंग्लैण्ड में कंजर्वेटिव पार्टी के बहुमत वाला सर्वदलीय मंत्रिमंडल बना तथा इरविन के स्थान पर विलिंगटन भारत के गर्वनर जनरल हो गए। इन परिवर्तनों का प्रभाव भारत की राजनीति पर पड़ा। गाँधी अगस्त, 1931 ई. सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत से इंग्लेण्ड गये। सितम्बर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ। सम्मेलन में गाँधी ने भारतीय हितों की रक्षा करने की भरपूर कोशिश की, परन्तु अन्त में वे असफल होकर ही लौटे। सरकार द्वारा जिस ढंग से गांधी–इरविन समझौते का उल्लंघन किया गया उससे निराश होकर गांधीजी को कहना पड़ा–"कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में शामिल होकर कांग्रेस का दृष्टिकोण उसके समक्ष प्रस्तुत करना है, परन्तु आवश्यक वातावरण के अभाव में मेरा वहां जाना व्यर्थ होगा।" गोलमेज सम्मेलन का मुख्य विषय साम्प्रदायिक प्रश्न के समझौते का था। सरकार ने कट्टरपंथी मुस्लिम प्रतिनिधियों को अपने साथ मिला लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1 दिसम्बर 1931 ई. को अल्पसंख्यक समस्या का समाधान किये बगैर ही समाप्त हो गया।

(3) तीसरा गोलमेज सम्मेलन (Third Roundtable Confrence)—तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवम्बर 1932 से 24 दिसम्बर 1932 ई. तक हुआ। इस सम्मेलन में भारत से केवल सम्प्रदायवादियों एवं राजभक्तों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भागीदारी नहीं की। भारतीय राज्यों के नरेश भी इस सम्मेलन में नहीं आए तथा जिन्ना को भी नहीं बुलाया गया। ब्रिटेन के मजदूर दल ने भी अपने को सम्मेलन से अलग रखा। फलतः सम्मेलन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। फिर भी उसमें भारत के लिए नये संविधान के सम्बन्ध में कुछ बातों पर निर्णय लिया गया।